चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १२६वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक ११.८.२००६
सभास्थल - कुलपति का सभाकक्ष
समयः ११:३० पूर्वान्ह

उपस्थिति :-

१.	डा० एम०एम० अग्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
२.	डा० मसऊद अली, निदेशक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	सदस्य
३.	डा० रमेश यादव, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
४.	श्री ईश्वर विश्वनाथ, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	सदस्य/प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि
५.	श्री बी०पी० सिंह, संयुक्त निदेशक कोषागार, कानपुर मण्डल	सदस्य/ प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
६.	श्री संत वी०एस० यादव	सदस्य
७.	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल	सदस्य
८.	श्री जय सिंह यादव	सदस्य
९.	डा० रूद्र प्रताप, अपर निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य/प्रतिनिधि
१०.	श्री राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, अर्थ नियन्त्रक	सचिव
११.	डा० एस०एस० यादव	सदस्य

मद संख्या १: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक ३०.१२.२००५ को सम्पन्न हुई १२८वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त बैठक दिनॉक ३०.१२.२००५ की कार्यवाही को अनुमोदित किया।

मद संख्या २: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १२८वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवही।

प्रबन्ध मण्डल की १२८वीं बैठक दिनॉक ३०.१२.२००५ में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल ने संस्तुष्टि व्यक्त किया। माननीय सदस्य डा० रमेश यादव, ने १३ वैज्ञानिकों/शिक्षकों को कतिपय अवधियों की सेवा निरन्तरता के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा जाना अपेक्षित बताया और निर्देश दिया कि तथ्यों (फैक्ट्स) सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। कार्मिक विभाग द्वारा लगातार रिव्यू करते रहने की अपेक्षा भी की गई।

मद संख्या ३: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवे प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वित्तीय वर्ष २००५-०६ का पुनरीक्षित आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष २००६-०७ के अनुमानित आय-व्ययक के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा गत चार वर्षों में शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान, व्यय एवं व्ययाधिक्य की धनराशि रु० १२७६.३३ लाख पर चिन्ता व्यक्त किया तथा व्ययाधिक्य की धनराशि रु० १२७६.३३ लाख शासन द्वारा स्वीकृत करने की अपेक्षा की गई।

मद संख्या ४: शिक्षक कल्याण कोष हेतु संशोधित समिति गठित करने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया तथा निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष न प्रस्तुत किया जाये क्योंकि ऐसे प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की आवश्यकता नही है।

मद संख्या ५: विश्वविद्यालय में वर्ष २००६ में प्रवेश पाने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस छोंडकर अन्य मदों में परिवर्तन पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इस शर्त पर अनुमोदित किया कि कोई भी वृद्धि शासनादेशों के विरूद्ध न हो। प्रबन्ध मण्डल ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित/अनुमोदित दरें विश्वविद्यालय में वर्ष २००६ में प्रवेश पाने वाले छात्रों/छात्राओं पर ही प्रभावी होंगी तथा तीनों कृषि विश्वविद्यालयों में वर्ष २००७ में प्रवेश हेतु जो निर्णय स्टेयिरिंग कमेटी द्वारा लिया जायेगा वह मान्य होगा।

मद संख्या ६: विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों के वादों में विधिक राय प्राप्त करने हेतु श्री जगेन्द्र स्वरूप अधिवक्ता, १५/६६, सिविल लाइन्स, कानपुर को रु० ७०००/- प्रति माह मानदेय पर नियुक्त विधिक सलाहकार को अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं का अपना एक पैनल है। प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या ७: कृषि ज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत ट्रेनिंग आर्गनाइजर, ट्रेनिंग एसोसियेट, ट्रेनिंग असिस्टेंट एवं कम्प्यूटर प्रोगामर/आपरेटर के पदनाम परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या ८: डा० बिजेन्द्र सिंह, सहायक अभिजनक, शाकभाजी/सहायक प्राध्यापक का धारणाधिकार दिनॉक २८.८.२००३ से २७.८.२००५ (दो वर्ष) की समाप्ति पर कार्यभार न ग्रहण किये जाने पर उक्त पद से सेवा समाप्त किये जाने पर विचार हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० बिजेन्द्र सिंह, सहायक अभिजनक, शाकभाजी/सहायक प्राध्यापक को विश्वविद्यालय सेवा में वापस आने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु दो माह का समय देने तथा यदि इस अवधि में डा० बिजेन्द्र सिंह वापस नही आने पर सेवाऐं स्वतः समाप्त हो जाने का नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या ९: डा० संजय सिंह, विष्य वस्तु विशेषज्ञ (पौध उत्पादन), कृषि ज्ञान केन्द्र सीतापुर का दिनॉक २१.७.२००६ से ३०.६.२००७ तक और धारणाधिकर सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १०: डा० अमरूल्लाह खान, प्रक्षेत्र प्रबन्ध, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, भरारी (झाँसी) को उनके द्वारा उपभोग किये गये दिनाँक १५.११.२००३ से ६.२.२००४ तक (८७ दिन) का चिकित्सकीय आधार पर उपार्जित अवकाश दिनांक १.४.२००४ से २४.१०.२००४ तक (२०७ दिन) का चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जाने की स्वीकृत पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने सी०एम०ओ० से रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अवकाश दिये जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या ११: श्री अनिल कुमार साहू, सह प्राध्यापक (सिविल इंजी०), बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर, कृषि अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा की नियुक्ति दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज मे सहायक प्राध्यापक, सिविल इंजीनियरिंग (टेक्निकल) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप दो वर्ष के धारणाधिकार के बाद एक वर्ष और बढाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या १२: श्री रवि प्रकाश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अलसी एवं तिल योजना, मऊरानीपुर, झांसी के दिनांक ५.११.२००५ से १५.१.२००६ तक (७२ दिन) तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के पश्चात चिकित्सकीय आधार पर उपार्जित अवकाश उपभोग किये जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने नियमानुसार देय अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या १३: डा० सर्वेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग द्वारा पी-एच०डी० उपाधि के पात्र दिनांक २६.१२.२००५ से होने पर उनकी नियुक्ति आदेश दिनांक २६.१०.२००२ मे उल्लिखित शर्त-१ के अनुसार दिनांक २६.१२.२००५ से सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु माननीय प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शासनादेश के अनुसार देय वेतन वृद्धि दिये जाने पर सहमति व्यक्त किया।

मद संख्या १४: शासनादेश संख्या ८३७/१२-८-२००२-३०(२२)/९४ दिनांक ७.८.२००२ के क्रियान्वयन हेतु प्रबन्ध मण्डल की ११७वीं बैठक दिनांक २५.२.२००२ द्वारा शिक्षक घोषित होने के उपरान्त ४७ याची गणों को कनिष्ठ वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक का वेतनमान रू० २२००-४००० पुनरीक्षित वेतनमान रू० ८०००-१३५०० दिनांक २८.८.२००२ से अनुमन्य करने के क्रम में शासन के शासनादेश संख्या-२७२९/६७-कृशिअ-०५-३०(२२)/९४ दिनांक २०.१०.२००५ के संदर्भ में ४७ याची गणों को शिक्षक घोषित करने एवं उल्लिखित पदों का वेतनमान दिनांक ८.१.२००१ से अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।

शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मद संख्या १५: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवे प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली समिति में प्रबन्ध मण्डल का प्रतिनिधि नामित करने के प्रस्ताव पर विचार।

उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय कुलपति महोदय बैठक मे उपस्थित नहीं थे प्रस्ताव पर कार्यवाही/निर्णय कुलपति महोदय के संज्ञान में न होने के कारण अंकन नहीं किया गया।

मद संख्या १६: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार।

पूरक १६ (१): याचिका संख्या- ८३६(एस/बी)/९४ के ५२ याचीगणों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक १८.८.९६ के अनुपालन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक १.१०. २००१ के कम में विद्वत परिषद की ८२वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मा० प्रबन्ध मण्डल की ११७वीं एवं ११८वीं बैठक में, ५२ याचीगणों में से पी-एच०डी० अध्ययनरत होने के परिणाम स्वरूप छूटे हुये डा० अन्जनी कुमार सिंह को समिति की संस्तुति के आधार पर शिक्षक घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया।

पूरक १६ (२): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत मेगा प्रोजेक्त सीड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल क्राप्स एण्ड फिसरीज के अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

पूरक १६ (३): आई०पी०एम० (आई०सी०ए०आर०) योजना में अनुमोदन हेतु विचार।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

पूरक १६ (४): कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कीट विज्ञान विभाग की दो परियोजनाओं पर विचार।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

बैठक के अन्त मे प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गये अन्य निर्देश-

१. प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान मे आया कि कई महत्वपूर्ण प्रकरण है जिन पर निर्णय लिया जाना है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा आगामी बैठक हेतु दिनांक ९.९.२००६ की तिथि निर्धारित करने के कहा गया।

२. माननीय सदस्य डा० रमेश यादव द्वारा मद संख्या-१४ पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते समय यह निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय से शासन स्तर पर की गई सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत की जाय।

३. माननीय सदस्य डा० रमेश यादव द्वारा अवगत कराया गया कि सत्रान्त लाभ की अवधि मे कतिपय शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है सत्रान्त लाभ प्राप्त शिक्षकों को कोई भी उत्तरदायित्व नहीं देना चाहिये इस सम्बन्ध मे प्रबन्ध मण्डल के निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि सत्रान्त लाभ पर कार्यरत शिक्षको से केवल शिक्षण का कार्य लिया जायें उन्हे अन्य वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व न सौपे जायें।

४. प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिये कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक तीन माह के अन्दर सम्पन्न कराने का प्रयास किया जाय बैठक मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कराई जाय तथा बैठक में विभागों द्वारा किये जा रहे शिक्षण, शोध, प्रसार एवं अन्य कार्यक्रमों/उपलब्धियों की सूचना भी प्रस्तुत की जाय।

अनुमोदित

(डा० एम०एम० अग्रवाल)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

(आर०पी० कौण्डपाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल